

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

इकरारनामा

हरियाणा HARYANA

यह इकरारनामा आज दिनांक 06.10.2017 को निगम अभियन्ता, नगरनिगम यमुनानगर-जगाधरी।


06AA 781371

एवं

अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर, ने महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रखरखाव करने बारे, नगर निगम के मध्य महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रख-रखाव के लिए महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रख-रखाव के लिए इकरारनामा किया जा रहा है, यह नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की मलकियत है तथा भविष्य में नगर निगम की ही मलकियत रहेगी। और इस सभा के साथ इकरारनामा की अवधि 06.10.2017 से 05.10.2018 तक होगी। अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर, महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रख-रखाव का कार्य अधिकतम 1/- रुपये/वर्गमीटर के हिसाब से दिया जायेगा। यह राशि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को प्रत्येक माह सुधार सभा/ वेलफेयर सोसायटी को अनुदान के रूप में देनी होगी।

नियम व शर्त:-


1. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी का कार्य एक वर्ष के लिए दिया जायेगा। यदि कार्य सन्तोषजनक है तो कार्य की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है तथा यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं है अथवा नियम व शर्त की पालना नहीं हो रही हो तो 15 दिन के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है।
2. माली/मजदूर अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर द्वारा अपने स्तर पर लगाये जायेंगे तथा नगर निगम की स्थापना शाखा से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। जो भी माली/मजदूर लगाया जाये उसका चाल-चलन एवं आचरण ठीक होना चाहिये।


President

AGGARWAL VAISH SAMMELAN SABHA


Distt. Yamuna Nagar


3. पक्के कार्य जैसे चारदीवारी, ग्रिल, पेन्ट, गेट, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट व फुटपाथ का निर्माण नगर निगम द्वारा अपने खर्च पर किया जायेगा।
4. नगर निगम की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के निर्माण व बदलाव की इजाजत नहीं होगी। यदि ऐसा किया गया पाया गया तो उस निर्माण को बिना नोटिस दिये गिरा दिया जायेगा, तथा सभा से रख-रखाव का कार्य वापिस ले लिया जायेगा।
5. नगर निगम को पूर्वानुमति के बिना महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में किसी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, धरेलू व व्यवहारिक प्रकार के कार्यों को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने पर सोसायटी दण्ड की पात्र होगी।
6. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में बड़े पेड़ों की कटाई व छटाई नगर निगम की अभियन्ता शाखा की देख-रेख में कराया जायेगा।
7. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी चारदीवारी के अन्दर पौधे, फुल पत्ती, गुलाब क्यारियां तैयार आदि करने का कार्य एवं घास की कटाई का कार्य अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर द्वारा किया जायेगा।
8. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में कार्य करने वाले माली का नाम व पता तथा कार्य करने के समय के बारे में सूचना नगर निगम को देनी होगी।
9. अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर द्वारा महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर सफाई पर्यावरण अथवा समाजिक सुधार से सम्बन्धित स्लोगन लिख सकती है, लेकिन लिखने से पूर्व नगर निगम से अनुमति लेनी होगी।
10. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में चारदीवारी, ग्रिल, फुहारा, लाईट, बैंच, झूले व चल-अचल सम्पत्ति का रख-रखाव व सम्भाल अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर को करना होगा। यदि इस सम्बन्ध कोई नुकसान हुआ तो अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर इसके लिए जिम्मेवार होगी और इसकी भरपाई करनी होगी।
11. नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता व नगर निगम द्वारा कोई भी अधिकृत कर्मचारी को महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी का निरीक्षण करने तथा रख-रखाव के कार्यों को देखने का अधिकार होगा।
12. अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर को राशि नगर निगम की सन्तुष्टि के उपरान्त कार्य कराने के परचात माह के अन्त में अथवा अगले माह के आरम्भ में अधिकतम 1/- रु० प्रति वर्ग मीटर प्रति माह तथा न्यूनतम जितना कार्य कराया गया है उसी के अनुसार नगर निगम की अभियन्ता शाखा की रिपोर्ट के परचात अदायगी की जायेगी। अगर अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर द्वारा महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी का कोई कार्य नहीं कराया जाता है ऐसी स्थिति में कोई अदायगी नहीं की जायेगी।
13. अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर को कार्य शुरू करने से पूर्व नियम व शर्तें बारे नगर निगम के साथ इकरारनामा करना होगा।


 President
 AGGARWAL VAISHY SAMMELAN SABHA
 Dist. Yamunanagar

14. अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर रख-रखाव से सम्बन्धित लोगो की शिकायतों के लिए जिम्मेदार होगा।
15. नगर निगम को जनहित में किसी नियम व शर्त को बदलने का अधिकार होगा।
16. किसी भी अवस्था में तथा किसी नियम व शर्तों बारे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को 15 दिन के नोटिस के अनुसार राशि बंद करने का पूरा अधिकारी तथा पार्क का रख-रखाव जनहित में किसी दूसरी सुधार सभा/सोसायटी को देने का अधिकार होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा तथा किसी कोर्ट अथवा ट्रिब्युनल में चैलेन्जल नहीं होगा।
17. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में क्रिकेट, हॉकी एवं फुटबाल इत्यदि खेलने की मनाही रहेगी। इससे महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में रख-रखाव में बाधा आती है। पालना न करने पर नगर निगम की ओर से 5000रु0 से जुर्माना किया जायेगा, तथा सोसायटी से रख-रखाव का कार्य वापिस लिया जा सकता है।
18. नगर निगम के पार्क में बेंच, गेट, व अन्य जगह पर दानी सज्जनों के नाम नहीं लिख सकते।
19. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रख-रखाव के लिए बिजली व पानी के बिल की अदायगी नगर निगम द्वारा की जायेगी। इनकी जिम्मेवारी अग्रवाल वैश्य सम्मेलन सभा, कार्यालय नजदीक कमानी चौक, यमुनानगर की नहीं होगी, लेकिन पानी के पाईप बिजली की लाईनो आदि का रख-रखाव सभा द्वारा किया जाना है।
20. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में किसी भी प्रकार के निर्माण के कार्य की मंजूरी नगर निगम के अधिकारी व निगम पार्षद की सहमति से होनी चाहिए।
21. नगर निगम के पार्क में बेंच, गेट, व अन्य जगह पर दानी सज्जनों के नाम नहीं लिखा जाना चाहिए।
22. महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी के रख-रखाव के लिए बिजली व पानी के बिल की अदायगी नगर निगम द्वारा ही करवाई जायेगी। इनकी जिम्मेवारी सभा की नहीं होगी।
23. सभा के पदाधिकारियों का हर साल बदलाव होना चाहिए व 50 प्रतिशत महिला सदस्य व पद अधिकारी बनाने का प्रावधान होना चाहिए।
24. सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन हरित पट्टी में बनाये गये अनियमित निर्माण का सुधारीकरण किया जाये।

लिहाजा हर दोनो पक्षो के मुताबिक इकरारनामा बाखुरी खुद बाकायदा होसो हवास में रहते हुए बिना किसी जोर व दबाव के रुबरुह गवाहान हाशिया लिख दिया गया है ताकि सन्देह रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।


 President
 AGGARWAL VAISH SAMMELAN SABHA
 Dist. Yamuna Nagar



 निगम अधिकारी-2
 नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।



Certificate No. I0Q2017D431



GRN No. 26435590



Stamp Duty Paid : ₹ 25

(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Deponent

Name : Shastripark Residents welfare Association
H.No/Floor : 38b Sector/Ward : 8 Landmark : Model town
City/Village : Yamuna nagar District : Yamuna nagar State : Haryana
Phone : 9416033621 Others : Umang garg president



Purpose : Agreement to be submitted at Mc

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

यह इकरारनामा आज दिनांक 24/4/2017 को निगम अभियन्ता, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

एवं

Shastri park Residents welfare association, Modal town के मध्य नगर निगम के पार्क के रख-रखाव के लिए किया गया है।

जिस पार्क के रख-रखाव के लिए इकरारनामा किया जा रहा है यह नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की मलकियत है तथा भविष्य में नगर निगम की मलकियत रहेगी। और इस सोसायटी के साथ इकरारनामा की अवधि 13/1/17 से 12/1/18 तक होगी।

Shastri park Residents welfare association के रख-रखाव का कार्य अधिकतम एक रुपये वर्गमीटर दिया जायेगा। यह राशि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को प्रत्येक माह सुधार सभा / वेलफेयर सोसायटी को अनुदान के रूप में देनी होगी।

नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-


1. पार्क का कार्य एक वर्ष के लिए दिया जायेगा। यदि कार्य सन्तोषजनक है तो कार्य आगे भी बढ़ाया जा सकता है तथा यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं है अथवा नियम व शर्तें की पालना नहीं हो रही हो तो 15 दिन के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है।
2. सुधार सभा को साथ लगते मकानों से 10 रु० प्रति घर की दर से राशि एकत्रित करनी होगी ताकि लोगों को अपनी भागीदारी का एहसास हो।
3. माली/मजदूर सुधार सभा द्वारा अपने स्तर पर लगाये जायें तथा नगर निगम की स्थापना शाखा से कोई सरोकार नहीं होगा। जो भी माली/मजदूर लगाया जाये उसका चाल-चलन एवं आचरण ठीक होना चाहिये।
4. पार्क के कार्य जैसे चारदीवारी, ग्रिल, पेन्ट, गेट, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट व फुटपाथ का निर्माण नगर निगम द्वारा अपने खर्च पर किया जायेगा।

Umang Garg

5. पार्को के लिए फूल पौधों के बीच व औजार आदि पर खर्च होने वाली राशि सुधार सभाओं द्वारा नगर निगम से मिलने वाली तथ लोगो से 10 रू0 प्रति घर से इकट्ठी की गई राशि में से खर्च करनी होगी।
6. नगर निगम की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के निर्माण व बदलाव की इजाजत नहीं होगी। यदि ऐसा किया गया पाया गया तो उस निर्माण को बिना नोटिस दिये गिरा दिया जायेगा।
7. नगर निगम को पूर्वानुमति के बिना पार्को में किसी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, घरेलू व व्यवहारिक प्रकार के कार्यों को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर नगर निगम द्वारा 5000/- रू0 जुर्माना वसूल किया जायेगा।
8. पार्को में बड़े पेड़ों की कटाई व छटाई नगर निगम की अभियन्ता शाखा की देख-रेख में कराया जायेगा।
9. चारदीवारी के अन्दर पौधे, फूल पत्ती, गुलाब क्यारिया तैयार आदि करने का कार्य एवं घास की कटाई का कार्य सुधार सभाओं द्वारा किया जायेगा।
10. माली का नाम व पता तथा कार्य करने के समय के बारे में सूचना नगर निगम को दी जायेगी।
11. सुधार सभा द्वारा पार्को का कोई नाम नहीं रखा जायेगा यदि आवश्यकता पड़ी तो नगर निगम द्वारा खुद रखा जायेगा, सुधार सभा सफाई पर्यावरण अथवा सामाजिक सुधार से सम्बन्धित स्लोगन लिख सकती है।
12. पार्को में चारदीवारी, ग्रिल, फुहारा, लाईट, बैंच, झूले व चल-अचल सम्पत्ति का रख-रखाव व सम्भाल सुधार सभा को करना होगा। यदि इस सम्बन्ध कोई नुकसान हुआ तो सुधार सभा इसके लिए जिम्मेवार होगी।
13. नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी, सचिव अथवा नगर निगम द्वारा कोई भी अधिकृत कर्मचारी को पार्क चैक करने तथा रख-रखाव के कार्यों को देखने का अधिकारी होगा।
14. सुधार सभा को राषिनगर निगम की सन्तुष्टि के पश्चात कार्य कराने के पश्चात माह के अन्त में अथवा अगले माह के आरम्भ में अधिकतम 1 रू0 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह तथा न्यूनतम जितना कार्य कराया गया है के अनुसार नगर निगम की अभियन्ता शाखा की रिपोर्ट के पश्चात अदायगी की जायेगी। सुधार सभा द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाता है ऐसी स्थिति में कोई अदायगी नहीं की जायेगी तथा उस क्षेत्र की जनरल बॉडी मिटिंग बुलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. सुधार सभा को कार्य शुरू करने से पूर्व नियम व शर्तें बारे नगर निगम के साथ इकरारनामा करना होगा।
16. सुधार सभा/वेलफेयर सोसाइटी, रख-रखाव से सम्बन्धित लोगो की शिकायतों के लिए जिम्मेदार होगा।
17. नगर निगम को जनहित में किसी नियम व शर्त को बदलने का हक हासिल होगा।
18. किसी भी अवस्था में तथा किसी नियम व शर्तें बारे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को 15 दिन के नोटिस के अनुसार राशि बढ़ करने का पुरा अधिकारी तथा पार्क का रख-रखाव जनहित में किसी दुसरी सुधार सभा को देने का हक होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा तथा किसी कोर्ट अथवा ट्रिब्युनल में चैलेन्ज नहीं होगा।

M. M. Singh


- 19 पार्क में क्रिकेट, हॉकी एवं फुटबाल हत्यदि खेलने की मनाही रहेगी। इससे पार्क में रख-रखाव में बाधा आती है। पालना न करने पर नगर निगम की ओर से 5000 रू० से जुर्माना किया जायेगा।
- 20 पार्क में किसी भी प्रकार के निर्माण के कार्य की मंजूरी नगर निगम के अधिकारी व निगम पार्षद की सहमति से होनी चाहिए।
- 21 नगर निगम के पार्क में बेंच, गैट, व अन्य जगह पर दानी सज्जनो के नाम नहीं लिखा जाना चाहिए।
- 22 पार्क के रख-रखाव के लिए बिजली व पानी के बिल की अदायगी नगर निगम द्वारा ही करवाई जायेगी। इनकी जिम्मेवारी सुधार सभा की नहीं होगी।
- 23 सुधार सभा के पदाधिकारीयो का हर साल बदलाव होना चाहिए व 50 प्रतिषत महिला सदस्य व पद अधिकारी बनाने का प्रावधान होना चाहिए।
- 24 सुधार सभा द्वारा पार्को में बनाये गये अनियमित निर्माण का सुधारीकरण किया जाये।



President

Shastri park Residents welfare association,
Modal town, Yamunanagar

Ph. 94160 33621



निगम अभियंता
नगर निगम यमुनानगर।
यमुनानगर।